



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद । (टिप्पणियां एवं आदेश)


उपाध्यक्ष / मा0 अध्यक्ष महोदय

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.09.2016 का कार्यवृत्त तैयार कर लिया गया है । कृपया अनुमोदनोपरान्त कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

  
( रवीन्द्र गोडबोले ),  
सचिव

कृ. अनुमोदनार्थ

  
28/9/16

  
28/9/16




29/9/16  
(सदा कास्त)

प्रमुख सचिव  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

एवं

अध्यक्ष, GDA

05  
  
30/9/16  
सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27-09-2016 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27-09-2016 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:-

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 1.  | श्री सदा कान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ                             | अध्यक्ष          |
| 2.  | श्री विजय कुमार यादव,, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद                                       | उपाध्यक्ष        |
| 3.  | सुश्री निधि केसरवानी , जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद  | सदस्य            |
| 4.  | श्री शिव जनम चौधरी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ                          | विशेष आमंत्री    |
| 5.  | श्री अजय कुमार मिश्रा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ.प्र.   | सदस्य            |
| 6.  | श्री डी के सिन्हा , अपर नगर आयुक्त-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के प्रतिनिधि                              | सदस्य            |
| 7.  | श्री अतुल कुमार सिंह, अवर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन ,मेरठ मंडल, मेरठ                                 | सदस्य            |
| 8.  | श्री आर0के0 अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम, गाजियाबाद-प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम के प्रतिनिधि | सदस्य            |
| 9.  | श्री विवेक भाष्कर, सहायक नियोजक -चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी. आर. सेल, गाजियाबाद के प्रतिनिधि              | सदस्य            |
| 10. | श्री जे0पी0सिंह कश्यप  | गैर सरकारी सदस्य |
| 11. | श्री फारूक हसन उर्फ फुरकान   | गैर सरकारी सदस्य |
| 12. | श्री उम्मेद पहलवान   | गैर सरकारी सदस्य |
| 13. | श्री अनिल स्वामी, पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित   | गैर सरकारी सदस्य |
| 14. | श्री सिंह राज पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित   | गैर सरकारी सदस्य |
| 15. | श्री ओम त्यागी पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित  | गैर सरकारी सदस्य |

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त सर्व-सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

मद सं०	विषय	निर्णय
146/1	प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.04.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.04.2016 के कार्यवृत्त पर मा० सदस्य श्री अनिल स्वामी एवं श्री सिंहराज द्वारा मद संख्या 11, 22, 38 एवं 39 पर प्रस्तुत टीका /टिप्पणी एवं तद क्रम में उन्हें प्रेषित उत्तर का संज्ञान लेते हुए सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
146/2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.04.2016 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.04.2016 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।
146/3	प्राधिकरण में वी०आई०पी० ड्यूटी के उपयोगार्थ निष्प्रोज्य वाहन के सापेक्ष 01 मारुति सियाज कार प्रतिस्थानी वाहन के रूप में क्रय किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण में वी०आई०पी० ड्यूटी के उपयोगार्थ निष्प्रोज्य वाहन के सापेक्ष 01 मारुति सियाज कार प्रतिस्थानी वाहन के रूप में क्रय किये जाने संबंधी कार्योत्तर प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
146/4	जनपद गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की माँग पर बोर्ड बैठक संख्या 143वीं में प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में एक वर्ष हेतु किराये पर उपलब्ध करायी गयी केनों का पुनः 06 माह की समय बढ़ाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने हेतु पुलिस विभाग को दिनांक 01-4-2016 से 30-9-2016 तक अर्थात् 06 माह ( 183 दिन ) तक प्रति केन ₹ 1,915.00 ( ₹ एक हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से चार छोटी केन उपलब्ध कराये जाने संबंधी ₹ 14,01,780.00 मात्र ( ₹ चौदह लाख एक हजार सात सौ अस्सी मात्र ) संबंधी कार्योत्तर प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

असल

Q

महोदय

146/5	<p>नीलामी में आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल आवंटन के उपरान्त 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाने की स्थिति में आवंटी के भूखण्ड लेने से इन्कार करने पर उसकी जमा धनराशि बिना कटौती व बिना ब्याज के वापिस किये जाने के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा नीलामी में आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने पर भूखण्ड को न लेने की दशा में उनकी समस्त जमा धनराशि बिना किसी कटौती के तथा बिना ब्याज के वापिस किये जाने तथा यदि आवंटी भूखण्ड लेना चाहता है तो आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत अधिक तक नीलामी दर से एवं उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल पर वर्तमान सैक्टर दर या सर्किल दर या नीलामी दर जो भी अधिक होगा, उसी दर पर मूल्य लिये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।</p>
146/6	<p>गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों की सैक्टर दर के पुर्न निर्धारण के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्न योजनाओं के लिए निम्नानुसार आवासीय एवं व्यवसायिक दरों को अनुमोदित किया गया । निस्तारित सम्पत्तियों पर नियमानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज, लीज रैन्ट व फ्री होल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होंगी । वर्तमान शासनादेशानुसार सम्पत्ति कार्नर पर होने के कारण कार्नर चार्ज भी नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी ।</p> <p>1- योजना का नाम -अम्बेडकर रोड मुख्य मार्ग आवासीय ₹40000,00 प्रति वर्ग मीटर व्यवसायिक ₹80000,00 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>2- अम्बेडकर रोड मुख्य मार्ग से हटकर आवासीय ₹30000,00 प्रति वर्ग मीटर एवं व्यवसायिक ₹60000,00 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>3- कविनगर रेलवे क्रॉसिंग से ठाकुरद्वारा तिराहे तक ( मुख्य मार्ग पर ) आवासीय ₹27500,00 प्रति वर्ग मीटर व्यवसायिक ₹55000,00 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>4- पटेलनगर ( मुख्य मार्ग से हटकर ) आवासीय ₹25000,00 प्रति वर्ग मीटर व्यवसायिक ₹50000,00 प्रति वर्ग मीटर</p> <p>यह भी निर्देश दिये गये कि अन्य</p>

सल

Q

मल्ल

		कालौनियों के संबंध में भी प्राधिकरण स्तर पर समिति गठित कर सैक्टर दरों का परीक्षण करा लिया जाये, जिससे कि प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण हो सके ।
146/7	इन्दिरापुरम आवासीय योजना में योजना संख्या 842 का स्थल परिवर्तन होने के कारण जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती के वापस किये जाने एवं आरक्षण पत्र पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री किये जाने की तिथि को आरक्षण पत्र जारी किये जाने की तिथि माने जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा इन्दिरापुरम आवासीय योजना में योजना संख्या 842 का स्थल परिवर्तन होने के कारण जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती के वापस किये जाने एवं आरक्षण पत्र पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री किये जाने की तिथि को आरक्षण पत्र जारी किये जाने की तिथि माने जाने संबंधी कार्योत्तर प्रस्ताव स्वीकार किया गया । चूँकि इस तरह के प्रकरणों में प्रशासनिक निर्णय लिया जाना होता है, अतः उपाध्यक्ष को प्रशासनिक निर्णय लिये जाने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया तथा लिये गये निर्णयों से बाद में बोर्ड को अवगत करा दिया जाये ।
146/8	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 15, 16 कौशाम्बी के विक्रय उपरान्त मैसर्स कालिन्दी ब्राइट स्टील एण्ड टूल्स लि० के स्थान पर वर्जिन होटल एण्ड रिसोर्टस इण्डिया का नाम दर्ज किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 15, 16 कौशाम्बी के विक्रय उपरान्त मैसर्स कालिन्दी ब्राइट स्टील एण्ड टूल्स लि० के स्थान पर वर्जिन होटल एण्ड रिसोर्टस इण्डिया का नाम दर्ज किये जाने संबंधी प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया । 1- विद्यमान नियम व शर्तों के अनुसार मैसर्स वर्जिन होटल एण्ड रिसोर्टस इण्डिया का नाम दर्ज कर दिया जाये । 2- मैसर्स मैसर्स वर्जिन होटल एण्ड रिसोर्टस इण्डिया से रू० 65,71,775,00 जमा कराये जायें । 3- दोनों पक्षों पर देयक ब्याज जीवित रहेगा । 4- मैसर्स कालिन्दी ब्राइट स्टील एण्ड टूल्स लि० के विरुद्ध वसूली यथावत जारी रखी जाये । 5- मैसर्स कालिन्दी ब्राइट स्टील एण्ड टूल्स लि० को फ़ौड केस में ब्लैक लिस्ट किया जाये ।

सि

Q

hnd

146/9	नवयुग मार्केट स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 113/22 क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर को उपलब्धता के आधार पर अन्य योजनाओं में उपलब्ध भूमि के साथ विनिमय किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई । प्रस्ताव के क्रम में अग्रिम कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर समिति गठित कर, समिति की आख्या अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।
146/10	प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत प्राधिकरण कर्मचारियों / अधिकारियों को आवंटित स्टाफ भवनों को विक्रय किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित अन्य स्टाफ भवनों के निस्तारण हेतु सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर ली जाये और समिति की आख्या आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये । विगत बोर्ड बैठक में शास्त्रीनगर में 02 स्टाफ भवनों के विक्रय का निर्णय लिया गया था, उसी प्रकार के यदि अन्य भवन हों तो उनके बारे में भी समिति परीक्षण कर अपना मन्तव्य बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करे ।
146/11	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हिण्डन एलिवेटिड रोड परियोजना में ग्राम सिहानी की भूमि के प्रतिकर दर में परिवर्तन करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिण्डन एलिवेटिड रोड परियोजना के अंतर्गत आ रही ग्राम सिहानी की निजी भूमि को शासनादेश संख्या 385/8-3-16-309विविध/15 दिनांक 21 मार्च, 2016 के क्रम में जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर दर रूपये 15000,00 प्रति वर्ग मीटर (पन्द्रह हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर) की दर से प्राधिकरण के पक्ष में क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाये। यह दर केवल हिण्डन एलिवेटिड रोड में आने वाली ग्राम सिहानी की भूमि के लिये प्रभावी होगी, हिण्डन एलिवेटिड रोड में आने वाली अन्य ग्रामों की भूमि के लिये 144वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 32/144 का निर्णय यथावत रहेगा। तदानुसार बोर्ड द्वारा कार्योत्तर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

jal

Q

wmt

146/12	गाजियाबाद महायोजना -2021 को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद महायोजना-2021 (गाजियाबाद, लोनी एवं मुरादनगर) के पुनरीक्षण किये जाने एवं उक्त कार्य हेतु एन.सी.आर. प्लानिंग सैल, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
146/13	गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की योजनाओं की प्रगति बोर्ड द्वारा अवलोकित की गई ।
146/14	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 ( यथा संशोधित 2011 ) में संशोधन 2016 का शासन द्वारा अनुमोदन के संबंध में ।	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 ( यथा संशोधित 2011 ) में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में संशोधन किये गये थे, जिन्हें शासन द्वारा अनुमोदनोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिये गये थे । विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा उक्त संशोधनों को यथावत समायोजित करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 ( यथा संशोधित 2011 ) में संशोधन 2016 संबंधी शासनादेश संख्या 462/8-3-16-34विधि /06 दिनांक 17-6-2016 के अन्य प्राविधानों को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।
146/15	सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र में नई आवासीय योजनाओं में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी शासनादेश में ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण के सापेक्ष शेल्टर फीस लिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र में नई आवासीय योजनाओं में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 3188/ आठ-1-13-80विधि/2010 दिनांक 05-12-2013 में ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण के सापेक्ष शेल्टर फीस लिये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

201

Q

huz

146/16	<p>ग्राम मकनपुर इन्दिरापुरम परगना लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1174 मि0, की ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग की भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प /फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र की विशेष अनुमति क्रियाओं के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा ग्राम मकनपुर इन्दिरापुरम परगना लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1174 मि0, की ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग की भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प /फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र की विशेष अनुमति क्रियाओं के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के संबंध में परीक्षण हेतु विशेष समिति का गठन कर अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।</p>
146/17	<p>चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने संबंधी शासनदेश संख्या 2179 /71 -2-2013 -सा-29/2012 दिनांक 20-6-2013 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1276/8-3-13-173विविध/12 दिनांक 30-12-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खसरा नं0 635 मि0, 636 , 638मि0, 639, 639मि0, 647/4, 647/5, 647/6 राजस्व ग्राम कादराबाद, मोदीनगर एवं खसरा नं0 - 87 राजस्व ग्राम रौरी, मोदीनगर, गाजियाबाद का भू-उपयोग संस्थागत हरित भू-उपयोग से संस्थागत भू-उपयोग में परिवर्तन के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 2179 /71 -2-2013 -सा-29/2012 दिनांक 20-6-2013 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1276/8-3-13-173 विविध/12 दिनांक 30-12-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत खसरा नं0 635 मि0, 636 , 638मि0, 639, 639मि0, 647/4, 647/5, 647/6 राजस्व ग्राम कादराबाद, मोदीनगर एवं खसरा नं0 - 87 राजस्व ग्राम रौरी, मोदीनगर, गाजियाबाद का भू-उपयोग संस्थागत हरित भू-उपयोग से नॉलेज पार्क भू-उपयोग संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करते हुए शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।</p>
146/18	<p>राजनगर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप पार्क भू-उपयोग से क्लब क्रिया विशेष अनुमति की अनुमन्यता के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा राजनगर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप पार्क भू-उपयोग से क्लब क्रिया विशेष अनुमति की अनुमन्यता के संबंध में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजनगर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में अंकित ग्रीन बैल्ट को तत्समय प्रभावी महायोजना-1962 के भू-उपयोग के अनुरूप नेबरहुड पार्क तथा</li> </ol>

20/11

Q

W



		<p>ओपन स्पेस के रूप में अंकित किये जाने के दृष्टिगत योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन किया जाये।</p> <p>2- योजना के तलपट मानचित्र में उपरोक्त आंशिक संशोधन के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायें।</p> <p>3- आंशिक संशोधन के उपरान्त नेबरहुड पार्क तथा ओपन स्पेस भू-उपयोग में क्लब क्रिया की अनुमति प्रदान की जाती है।</p>
146/19	<p>चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 2179 /71 -2-2013 -सा-29/2012 दिनांक 20-6-2013 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1276/8-3-13-173विविध/12 दिनांक 30-12-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कादराबाद के खसरा संख्या 635, 636, 638, 639, 647/4, 647/5, 647/6, 647/3 व अन्य तथा राजस्व ग्राम रौरी, मोदीनगर के खसरा संख्या 85 व 87 की भूमि पर श्री लवलीन कुमार गांधी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के संबंध में।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 2179 /71 -2-2013 -सा-29/2012 दिनांक 20-6-2013 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1276/8-3-13-173विविध/12 दिनांक 30-12-2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कादराबाद के खसरा संख्या 635, 636, 638, 639, 647/4, 647/5, 647/6, 647/3 व अन्य तथा राजस्व ग्राम रौरी, मोदीनगर के खसरा संख्या 85 व 87 की भूमि पर दो विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने व ऐसी स्थिति में कोई शासनादेश उपलब्ध न होने तथा स्पष्ट नीति नहीं होने के फलस्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न स्पेसिफिक शर्तों के अधीन मानचित्र स्वीकृत किया गया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सम्पूर्ण योजना का एकीकृत प्लान प्राप्त किया गया है।</li> <li>2. एकीकृत प्लान में दोनो विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले भू-भागों को अलग-अलग दर्शाया गया है।</li> <li>3. गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूमि का ही एफ0ए0आर0 एवं भू-आच्छादन अनुमन्य किया गया है।</li> <li>4. मानचित्र निर्गत होने पर उसकी एक</li> </ol>

20/11

Q

humb

		<p>प्रति मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने विकास क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाने पर उसकी एक प्रति आवेदक द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>5. मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया जायेगा।</p> <p>उपरोक्तानुक्रम में मेडिकल कालेज मानचित्र स्वीकृति का प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया एवं किसी आवेदक की परियोजना की भूमि दो अथवा अधिक विकास क्षेत्रों/विनियमित क्षेत्रों में स्थित होने की अवस्था में जिस विकास क्षेत्र में योजना का अधिक क्षेत्रफल स्थित हो, उस विकास प्राधिकरण को मानचित्र स्वीकृति का अधिकार दिये जाने की संस्तुति बोर्ड द्वारा दी गई। प्राधिकरण बोर्ड बैठक की संस्तुति शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाये।</p>
146/20	यातायात पुलिस, गाजियाबाद को 100 आर0सी0सी0 जर्सी बैरियर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यातायात पुलिस, गाजियाबाद को 100 आर0सी0सी0 जर्सी बैरियर हेतु ₹ 12,50,000,00 (₹ बारह लाख पचास हजार मात्र) ट्रैफिक पुलिस, गाजियाबाद को उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्योत्तर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
146/21	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/ अतिक्रमण व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु होम गार्डस नियुक्त किये जाने के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने एवं प्राधिकरण सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु 18 होम गार्डों की दिनांक-01.06.2016 एवं 03 होम गार्डों की दि0-29.6.16 से प्राधिकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक-30.06.2017 तक 21 होमगार्ड रखने की स्वीकृति प्राप्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

स/

Q

hmm

146/22	मुरादनगर महायोजना - 2021 के अन्तर्गत जोन- 1 व 2 के जोनल डेवलपमेंट प्लान ( प्रारूप ) के अनुमोदन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मुरादनगर महायोजना - 2021 के अन्तर्गत जोन- 1 व 2 के जोनल डेवलपमेंट प्लान ( प्रारूप ) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
146/23	ग्राम भूडगढी, डासना , परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित फैंक्ट्रियों की भूमि को हाईटैक सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० को डी०पी०आर० से बाहर किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा ग्राम भूडगढी, डासना , परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित फैंक्ट्रियों की भूमि को हाईटैक सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० की डी०पी०आर० से पृथक किये जाने संबंधी प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
146/24	मैसर्स नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि०, को आवंटित कोयल एन्कलेव योजना के अन्तर्गत गुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच०-2 व जी०एच०-3बी के अमलगमेशन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मैसर्स नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि०, को आवंटित कोयल एन्कलेव योजना के अन्तर्गत गुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच०-2 व जी०एच०-3बी के अनुमोदित अमलगमेशन के बोर्ड बैठक दिनांक 05-10-2015 मद संख्या 11/144 के प्रस्ताव पर प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि एन०बी०सी०सी० से विकास शुल्क नहीं लिया जाये , लेकिन अमलगमेशन शुल्क के रूप में आमेलित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर उसके वर्तमान सैक्टर रेट / सर्किल रेट के 10 प्रतिशत मूल्य के बराबर धनराशि एवं विज्ञापन पर व्यय धनराशि को लेकर अमलगमेशन की कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

2017

Q

hmk

146/25	मैसर्स आर0एस0 लैण्डकाफ्ट एल0एल0पी0 ( कन्सोर्सियम ) की प्रस्तावित डी0पी0आर0 के अन्तर्गत आने वाली खसरा संख्या 613मि0, 614मि0 व 615मि0 राजस्व ग्राम बसंतपुर सैंतली, गाजियाबाद की भूमि के कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मैसर्स आर0एस0 लैण्डकाफ्ट एल0एल0पी0 ( कन्सोर्सियम ) की प्रस्तावित डी0पी0आर0 के अन्तर्गत आने वाली खसरा संख्या 613मि0, 614मि0 व 615मि0 राजस्व ग्राम बसंतपुर सैंतली, गाजियाबाद की भूमि के कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करते हुए शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
146/26	राजस्व ग्राम बौंझा सर्वयोगी सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद की भूमि खसरा संख्या 04मि0 व 06मि0 का भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा राजस्व ग्राम बौंझा सर्वयोगी सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद की भूमि खसरा संख्या 04मि0 व 06मि0 का भू-उपयोग पार्क एवं क्रीडा स्थल भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर प्राधिकरण स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित कर प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया जाये । परीक्षणोपरान्त समिति की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।
146/27	मै0 सैवफेब बिल्डटेक प्रा0लि0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12-7-2016 में मैट्रो बेटरमेंट चार्ज की गणना संशोधित किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मैट्रो बेटरमेंट चार्ज की गणना के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृत मानचित्रों में जहाँ आंशिक धनराशि जमा की गयी थी, वहाँ वर्ष 2012 व वर्ष -2013 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अन्तर का 15 प्रतिशत आगणित करते हुए कॉस्ट इन्डेक्स के आधार पर मैट्रो शुल्क वसूल किया जाये । ऐसे प्रकरणों में यदि अधिक धनराशि जमा कर दी गयी है तो जमा धनराशि वापिस नहीं की जायेगी ।
146/28	सूर्यनगर आवासीय योजना / रामपुरी कालौनी के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सूर्यनगर आवासीय योजना / रामपुरी कालौनी के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया - 1- सन्दर्भित भूखण्ड पर विकास शुल्क की

241




		<p>देयता के साथ सिनेमा क्रिया के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग क्रिया अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया ।</p> <p>2-योजना के तलपट मानचित्र में उपरोक्त आंशिक संशोधन के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जायें ।</p>
146/29	<p>विधिक माप विज्ञान ( बाट तथा माप ) विभाग को मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट एफ में 198 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा विधिक माप विज्ञान ( बाट तथा माप ) विभाग, को मधुबन बापूधाम योजना पॉकेट एफ में गवर्नमेंट औफिस हेतु नियोजित चिन्हित भूमि 198 वर्ग मीटर भूमि को विभाग द्वारा माँगी जा रही 300 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष मात्र 198 वर्ग मीटर भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । आवंटित भूमि की दर मधुबन बापूधाम योजना की आवासीय योजना का सैक्टर दर ₹ 24000.00 का 1.5 गुना अर्थात् ₹ 36000.00 वर्ग मीटर होगी । सैक्टर दर के अतिरिक्त 12 प्रतिशत लीज/फ्री होल्ड चार्ज एवं 10 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज अतिरिक्त देय होगा । कार्नर भूखण्ड होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज भी अतिरिक्त देय होगा । चूँकि विधिक माप विज्ञान ( बाट माप ) विभाग एक सरकारी विभाग है, जिसे सीधे उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया ।</p>
146/30	<p>प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के नीलामी द्वारा निस्तारण किये जाने हेतु न्यूनतम आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण की योजनाओं का सैक्टर रेट दिनांक 30 मार्च, 2017 तक फ्रीज किये जाने के संबंध में ।</p>	<p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के नीलामी द्वारा निस्तारण किये जाने हेतु न्यूनतम आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण की योजनाओं का सैक्टर रेट दिनांक 30 मार्च, 2017 तक फ्रीज किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । फ्रीज दरें अनिर्माण शुल्क, शमन शुल्क एवं कय योग्य एफ0ए0आर0 आदि पर लागू नहीं होगी ।</p>

2017

Q

hmtk

146/31	जनपद गाजियाबाद में JNNURM कार्यक्रम UIDSSMT कार्याश के अन्तर्गत सडक निर्माण एवं उपरिगामी सेतु निर्माण संबंधित परियोजनाओं की अद्यावधिक स्थिति ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद गाजियाबाद में JNNURM कार्यक्रम UIDSSMT कार्याश के अन्तर्गत सडक निर्माण एवं उपरिगामी सेतु निर्माण संबंधित परियोजनाओं की अद्यावधिक स्थिति अवलोकित की गई ।
146/32	जी०टी० रोड से वसुन्धरा, वैशाली एवं इन्दिरापुरम होते हुए एन०एच०-24 ( यू०पी० गेट ) तक सुगम योतायात व्यवस्था हेतु सिंचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में सम्पादित कराये जाने वाली परियोजनाओं की अद्यावधिक स्थिति ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जी०टी० रोड से वसुन्धरा, वैशाली एवं इन्दिरापुरम होते हुए एन०एच०-24 ( यू०पी० गेट ) तक सुगम योतायात व्यवस्था हेतु सिंचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में सम्पादित कराये जाने वाली परियोजनाओं की अद्यावधिक स्थिति अवलोकित की गई ।
146/33	गाजियाबाद में रेलवे विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे आर०ओ०बी० एवं आर०यू०बी० परियोजनाओं की अद्यावधिक स्थिति ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद में रेलवे विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे आर०ओ०बी० एवं आर०यू०बी० परियोजनाओं की अद्यावधिक स्थिति अवलोकित की गई ।
146/34	नोएडा के सैक्टर-32 से सैक्टर-62 तक निर्माणाधीन मेट्रो रेल लाईन को इन्दिरापुरम, वसुन्धरा होते हुए मोहननगर तक विस्तारित करने के संबंध में डी०पी०आर० तैयार करने हेतु डी०एम०आर०सी० को रू० 109.25 लाख का भुगतान करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा नोएडा के सैक्टर-32 से सैक्टर-62 तक निर्माणाधीन मेट्रो रेल लाईन को इन्दिरापुरम, वसुन्धरा होते हुए मोहननगर तक विस्तारित करने एवं ब्लू लाईन मेट्रो रेल सेवा को वैशाली से मोहन नगर तक विस्तारित करने हेतु डी०पी०आर० बनाये जाने हेतु डी०एम०आर०सी० द्वारा माँगी गयी धनराशि ₹ 95.00 लाख + सर्विस टैक्स अर्थात कुल ₹ 109.25 लाख ( जो 9.50 कि०मी० सम्भावित दूरी के लिये है ) के स्वीकृति के साथ डी०एम०आर०सी० को भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

201

Q

hmm

146/35	06 लेन हिण्डन ऐलिवेटिड रोड के लिए एन0सी0आर0पी0 बोर्ड से स्वीकृत रू0 700.00 करोड ऋण के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रू0 210.00 करोड के लिए एन0आर0 प्लानिंग बोर्ड की शर्तों के अनुसार रू0 210.00 करोड की बैंक गारन्टी जारी कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त 06 लेन हिण्डन ऐलिवेटिड रोड के लिए एन0सी0आर0पी0 बोर्ड से स्वीकृत ₹700.00 करोड ऋण के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि ₹210.00 करोड के लिए एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड की शर्तों के अनुसार ₹210.00 करोड की बैंक गारन्टी जारी कराने की प्रक्रिया के क्रम में श्री टी0आर0 यादव, वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को बैंक गारन्टी अभिलेखों के क्रियान्वयन (Execution) के लिए अधिकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया ।
146/36	जनपद गाजियाबाद के नगर क्षेत्र में कावंड मेला 2016 सहयोग हेतु विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद गाजियाबाद के नगर क्षेत्र में कावंड मेला 2016 सहयोग हेतु विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद को भुगतान किये गये ₹5.00 लाख की धनराशि की कार्योत्तरी स्वीकृति प्रदान की गई ।
146/37	प्राधिकरण की आवासीय योजना में प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर स्थित कथित आबादी से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आवासीय योजना में प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर स्थित कथित आबादी से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रस्तावनुसार स्थायी समिति के गठन एवं समिति के सहायतार्थ विवादित भूमि के सर्वे, चिन्हीकरण इत्यादि के लिए प्रस्ताव में इंगित अधिकारियों की उप समिति के गठन के साथ आबादी मामलों को निस्तारित करने के उद्देश्य से बिन्दु संख्या 1 से 15 तक की प्रक्रिया/नीति निर्धारण व प्रशासनिक आदेश प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

sal

Q

Wm

146/38	बाल्मिकी अम्बेडकर मलिन बस्ती( डूडा ) के अन्तर्गत वैम्बे योजना नन्दग्राम गाजियाबाद सिंगल स्टोरी/दो मंजिल आवंटित भवनों के चौकीदारा शुल्क को माफ किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा बाल्मिकी अम्बेडकर मलिन बस्ती( डूडा ) के अन्तर्गत वैम्बे योजना नन्दग्राम गाजियाबाद सिंगल स्टोरी/दो मंजिल आवंटित भवनों के चौकीदारा शुल्क को माफ किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
146/39	रामलीला मैदान कविनगर को शादी विवाह के अतिरिक्त, रिक्त होने पर निजी संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत आयोजकों के लिए ( व्यवसायिक उपयोग हेतु जिसमें उनका कोई आर्थिक स्वार्थ निहित नहीं हो ) आरक्षण किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त श्री धार्मिक रामलीला समिति द्वारा किये जाने वाले रामलीला महोत्सव हेतु रामलीला मैदान, कविनगर एवं राम बरात हेतु सामुदायिक केन्द्र , कविनगर को निःशुल्क आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त मद

146/40	गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कैटिल कालौनी के नियोजन /विकास के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कैटिल कालौनी के नियोजन/विकास हेतु कम से कम 03 स्थलों पर कैटिल कालोनियों के लिए आपसी समझौते के आधार पर भूमि कय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
146/41	अफोर्डबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत आवास बन्धु, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त मैसर्स सर्वप्रिय सिक्योरिटीज प्रा०लि० ( कन्सोर्शियम ) की डी०पी०आर० के अन्तर्गत आने वाली खसरा संख्या 120, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201 मि०, 206, 207, 208 प 233/2 राजस्व ग्राम मोरटा , गाजियाबाद की भूमि का भू-उपयोग हल्का एवं लघु उद्योग से आवासीय में	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा अफोर्डबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत आवास बन्धु, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त मैसर्स सर्वप्रिय सिक्योरिटीज प्रा०लि० ( कन्सोर्शियम ) की डी०पी०आर० के अन्तर्गत आने वाली खसरा संख्या 120, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201 मि०, 206, 207, 208 प 233/2 राजस्व ग्राम मोरटा , गाजियाबाद की भूमि का भू-उपयोग हल्का एवं लघु उद्योग से आवासीय में परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रस्ताव

२५१

Q

~~~~~



|        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | परिवर्तित किये जाने के संबंध में ।                                                                                                                                   | <p>निम्नानुसार स्वीकार किया गया :-</p> <p>1- शासनादेश संख्या 74/3492/ आठ-1-14 विविध/14 दिनांक 12-12-2014 एवं 2281/8-3-14-194 विविध/ 14 दिनांक 11-12-2014 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा ।</p> <p>2- प्रश्नगत स्थल तक आवश्यक अवस्थापना सुविधायें यथा जलापूर्ति, जल एवं मल निस्तारण आदि का प्राविधान/ विकास विकासकर्ता के द्वारा स्वयं के व्यय से कराया जाना होगा तथा बाह्य अवस्थापना सुविधाओं के साथ योजना के आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं को इन्टीग्रेट भी करना होगा ।</p> <p>3- समाजवादी योजना के शासनादेश दिनांक 12-01-2016 के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायें ।</p> <p>4- सन्दर्भित भूमि निजी विकासकर्ता के इन्टीग्रेटिड टाउनशिप हेतु निर्गत लाईसेंस क्षेत्र का भाग है । लाईसेंस निरस्तीकरण हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित है । अतः भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही लाईसेंस निरस्तीकरण के संबंध में शासन द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अधीन होगी ।</p> <p>5- नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये ।</p> |
| 146/42 | मै0 शिप्रा एस्टेट लि0 द्वारा वैभव खण्ड इन्दिरापुरम आवंटित भूखण्ड संख्या-10 पर स्वीकृत मानचित्र में एफ0ए0आर0 सरेन्डर करने एवं मानचित्र पुनरीक्षित करने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मै0 शिप्रा एस्टेट लि0 द्वारा वैभव खण्ड इन्दिरापुरम आवंटित भूखण्ड संख्या-10 पर स्वीकृत मानचित्र में एफ0ए0आर0 सरेन्डर करने एवं मानचित्र पुनरीक्षित करने संबंधी प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व में स्वीकृत कराये मानचित्र को सरेन्डर किये जाने वाले भाग का विक्रय नहीं किया जायेगा । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31-7-2013 में अनुमोदित मिक्स उपयोग हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2014

Q

www

|        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | प्रस्तावित ब्लाक के मानचित्र को विकासकर्ता द्वारा मूल रूप से सरेण्डर करना होगा एवं पुनरीक्षित प्रस्तावित एफ0ए0आर0 के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराना होगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 146/43 | कविनगर योजना के ब्लाक आई व जी के मध्य नेबरहुड पार्क एण्ड ओपन स्पेस उपयोग की भूमि में से 30मी0 X 40 मी0 क्षेत्रफल 1200 वर्ग मी0 भूमि पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा कविनगर योजना के पूर्व नियोजित तलपट मानचित्र में नेबरहुड पार्क तथा ओपन स्पेस के अन्तर्गत दर्शित हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अंकित भूमि में से 24.0 मी0 चौड़े मार्ग पर विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 30मी0 X 40 मी0 का भूखण्ड नियोजित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :-<br>1- तलपट मानचित्र में नियोजित नेबरहुड पार्क तथा ओपन स्पेस क्रिया में आंशिक भाग पर विद्युत सब-स्टेशन क्रिया अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप योजना के तलपट मानचित्र में नियमानुसार आंशिक संशोधन किया जाये ।<br>2- योजना के तलपट मानचित्र में उपरोक्त आंशिक संशोधन के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायें ।<br>3- प्रस्तावित भूखण्ड क्षेत्रफल 30मी0 X 40 मी0 के बाउन्ड्री पर स्थित पेड़ों को यथावत रखा जाये । |
| 146/44 | ग्राम महरोली क्षेत्र के सरकुलेशन/रोड नेटवर्क में आंशिक संशोधन के संबंध में ।                                                                                                       | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा ग्राम महरोली क्षेत्र के सरकुलेशन/रोड नेटवर्क में प्रस्ताव में अंकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत 24.0 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग के प्रस्ताव को पूर्व में तैयार किये गये सरकुलेशन प्लान से समाप्त किये जाने हेतु आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इस संबंध में जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव भी आमंत्रित किये जायें ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

241

Q

hmk

|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146/45 | डा0 के0पी0 शर्मा को आउट ऑफ टर्न आवंटित एम0आई0जी0 (डबल स्टोरी ) भवन संख्या ई-340, प्रताप विहार के विरुद्ध मूल बकाया धनराशि मय साधारण ब्याज जमा कराये जाने के संबंध में ।                                                                          | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डा0 के0पी0 शर्मा को आउट ऑफ टर्न आवंटित एम0आई0जी0 (डबल स्टोरी ) भवन संख्या ई-340, प्रताप विहार के विरुद्ध मूल बकाया धनराशि चूँकि प्राधिकरण द्वारा देय धनराशि का त्रुटिपूर्ण पत्र प्रेषित किये जाने एवं लगभग एक वर्ष बाद प्रेषित अतिरिक्त माँग पत्र आवंटी को न प्राप्त होने का तथ्य प्रकाश में लाया गया है, अतः उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त देय ब्याज माफ करते हुए मूल अवशेष धनराशि की वसूली किये जाने का निर्णय लिया गया । |
| 146/46 | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर एवं वाणिज्यिक केन्द्र योजना में ग्राम दुहाई की 23.1861 है0 भूमि का अभिनिर्णय घोषित न कराने के संबंध में ।                                                                                          | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर एवं वाणिज्यिक केन्द्र योजना में ग्राम दुहाई की 23.1861 है0 भूमि का अभिनिर्णय घोषित न कराये जाने संबंधी प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की संस्तुतियों को संज्ञान लेते हुए समिति की बैठक दिनांक 20-9-2016 को अवलोकित करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।                                                                                                                                                                               |
| 146/47 | मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट -सी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-3 पर 660 बहुमंजिले फ्लैट्स के निर्माण में अनुबन्ध धनराशि 10 प्रतिशत सीमा से अधिक बढ़ने किन्तु परियोजना लागत के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट -सी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-3 पर 660 बहुमंजिले फ्लैट्स के 17 मंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों को समग्र रूप से कार्य कराकर उनका कब्जा आवंटियों को दिये जाने तथा उनका रखरखाव एक ही एजेन्सी के माध्यम से सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित मैसर्स एस0एस0 कन्स्ट्रक्शन के अनुबन्ध संख्या 100/ एफसी/अधि0 अभि0-म0बा0यो0/2015 दिनांक 07-8-2015 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में इस कार्य                                       |

24

Q


~~~~~

		का विचलन 18.09 प्रतिशत तक स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । बोर्ड बैठक की सैद्धान्तिक स्वीकृतिपोरान्त कार्य के विचलन की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपाध्यक्ष द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाये ।
--	--	--


अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से

146/48	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ई-टेन्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में अतिरिक्त समय दिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
--------	--	---

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।


  
( रवीन्द्र गोडबोले )  
सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

  
( विजय कुमार यादव )  
उपाध्यक्ष

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

  
( सदा कान्त ) 29/9/16

अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /  
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ